कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–मा / माध्य / अ–4 / क्रमोन्नति / राउमावि / 21307 / 2019–20 दिनांक : 12.03.2020

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय)–माध्यमिक
पाली।

विषयः राजकीय माध्यमिक विद्यालय नेहड़ा बेरा, पंचायत समिति–सोजत सिटी, जिला–पाली को राउमावि में क्रमोन्नत किये जाने के संबंध में।

प्रसंगः शासन का पत्रांक– प. 4(6) शिक्षा–1 / 2019, जयपुर, दिनांक [illegible].03.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक शासकीय स्वीकृति के क्रम मे परिवर्तित बजट घोषणा 2019–20 के बिन्दु संख्या 127.03 की अनुपालना में राजकीय माध्यमिक विद्यालय नेहड़ा बेरा (यू–डाईस कोड–08200394002), पंचायत समिति–सोजत सिटी, जिला–पाली को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने की स्वीकृति वित(व्यय–1)विभाग की आई.डी. सख्या 131900208 के द्वारा अग्रांकित शर्ताधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती हैः–

शर्तेः–

1. विद्यालय क्रमोनयन सत्र 2019–20 से प्रारंभ होगा ।
2. स्वीकृति के वर्ष सुविधानुसार कक्षा 11 व 12 एक साथ प्रारम्भ की जा सकती है।
3. क्रमोन्नति के समय यह भी सुनिश्चित कर लिया जावे कि नवीन सत्र में विद्यालय क्रमोन्नत करते समय क्रमोन्नत कक्षा में छात्र/छात्रा संख्या 25 से कम नहीं हो।
4. इन विद्यालयों में कला संकाय स्वीकृत किया जाता है। कला संकाय के अन्तर्गत 3 ऐच्छिक विषयों का निर्धारण विद्यार्थियों की आवश्यकता एवं रूचि के आधार पर किया जायेगा । इसके लिये सम्बन्धित जि0शि0अ0(मुख्यालय)–माध्यमिक को निर्देशित किया जाता है कि वे क्रमोन्नत विद्यालय से कला संकाय के अन्तर्गत 3 ऐच्छिक विषयों का निर्धारण करवाकर प्रस्ताव इस कार्यालय की ई–मेल आई.डी.– Secondarydd2@gmail.com पर तत्काल भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें ताकि तदनुसार कला संकाय के 3 ऐच्छिक विषय स्वीकृत किये जा सकें।
5. स्टाफिंग पैटर्न के बिन्दु स. 6.1 के अनुसार नवक्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रथम वर्ष में केवल ऐच्छिक विषयों के व्याख्याता ही देय होंगे। अनिवार्य विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी) के शिक्षण हेतु व्याख्याता के स्थान पर वरिष्ठ अध्यापक दिये जायेंगे।
6. स्टाफिंग पैटर्न के बिन्दु सं. 6.3 के अनुसार नवक्रमोन्नत विद्यालयो में नवसृजित व्याख्याताओं के पद भरे जाने तक वरिष्ठ अध्यापक संवर्ग में Operate किया जायेगा परन्तु इन पदों की गणना सीधी भर्ती/ पदोन्नति हेतु व्याख्याता संवर्ग में ही की जावे ।
7. विद्यालय के क्रमोन्नत आदेश जारी करने से पूर्व विद्यालय का नाम, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला व यू–डाईस कोड आदि की जांच कर ही आदेश जारी करें ।

(सौरभ स्वामी)
आई ए एस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान सरकार, जयपुर ।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, पुस्तकालय एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
6. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, जयपुर को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम मे ।
7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
8. वित्तीय सलाहकार/संयुक्त निदेशक (कार्मिक)/उप निदेशक (योजना/सांख्यिकी), कार्यालय हाजा।
9. संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, पाली।
10. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, पाली।
11. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी समग्र शिक्षा अभियान, सोजत सिटी (पाली)।
12. अनुभाग अधिकारी सस्थापन–एबी/सस्थापन–ए0/बजट/कम्प्यूटर/आदर्श विद्यालय प्रकोष्ठ/शाला दर्पण प्रकोष्ठ को अपडेशन हेतु।
13. माध्यमिक अनुभाग के प्रभाग अ–1 को पदों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर